

(3.3)

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1 अप्पेन्डिक्स भवन राजवहन पैलेस नं 010 जयपुर

क्रमांक 100/आरएफपी/सा.न्या.वि. / 12/7376 409

जयपुर, दिनांक 24/1-2013

समस्त जिला कलेक्टर,
.....
.....

विषय:- अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्रों के सरलीकरण, नवीन प्रारूप एवं समस्त राज्य में एकरूपता के संबंध में नवीन संशोधन।

राज्य सरकार के ध्यान में ऐसे मामले आए गये कि अनुजाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्रों के संबंध में सम्पूर्ण राज्य में एकरूपता नहीं है। इन प्रमाण पत्रों को जारी करने वाले अधिकारी भिन्न प्रारूप में उक्त प्रमाण पत्र जारी करते हैं तथा इनके साथ ही प्रमाण पत्र चाहने वाले आवेदकों द्वारा भिन्न रूप से आवेदन पत्र का प्रारूप भरकर संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है जिससे सम्पूर्ण राज्य में आवेदन पत्रों के प्रारूप एवं जारी होने वाले प्रमाण पत्रों में एकरूपता नहीं है, इससे आवेदकों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

राज्य सरकार ने गहन विचार विमर्श उपरान्त राज्य में तहसील एवं अन्य स्तरों पर जारी होने वाले जाति प्रमाण पत्रों की एकरूपता एवं इनके साथ संलग्न दस्तावेजों आदि में संशोधन एवं सरलीकरण के बारे में निर्णय लिया है। निर्णयानुसार अब भविष्य में संलग्न प्रारूपों के अलावा अलग से कोई प्रारूप अपने स्तर पर नहीं बनाये जावे।

राज्य सरकार के उक्त निर्णय की पालनार्थ आपको अनुजाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को जारी होने वाले प्रमाण पत्रों, आवेदन पत्रों स्वयं संलग्न दस्तावेज आदि के प्रारूप की प्रति संलग्न कर दिखावायी जा रही है एवं निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में संलग्न प्रारूप अनुसार ही आवेदन पत्र, दस्तावेज, जारी होने वाले

3

प्रमाण पत्र प्रारूप में ही समस्त कार्यवाही संपादित करावे। संलग्न प्रारूप से भिन्न किसी प्रारूप में नही।

इसके अलावा यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि जहाँ नवीन प्रारूप के संस्करण में व्यापक प्रचार प्रसार भी करावे जाये। आवेदकों एवं इन-टू जारी करने वाले अधिकृतियों (Authorities) को कर्टिनाड में ही राज्य सरकार द्वारा प्रमाण पत्रों के संबंध में लिये गये निर्णय विन्ना-नुसार है-

अनुरूपित जारी/जनजाति प्रमाण पत्र:-

1. अधिकृत अधिकारी-जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/उपखण्ड मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट/राजस्व अधिकारी जो नायब तहसीलदार से कम पद का नही हो।
2. पूरे राज्य में आवेदन पत्र संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज तथा जारी किये जाने वाला प्रमाण पत्र का एक समान प्रारूप निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है। आवेदन पत्र प्रारूप की प्रति परिशिष्ट-ए तथा प्रमाण पत्र प्रारूप परिशिष्ट-बी पर संलग्न है।

प्रमाण पत्र हिन्दी में जारी किया जावेगा। आवश्यकता होने एवं मांग करने पर अंग्रेजी में भी जारी किया जावेगा।

प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जावेगा। निम्न परिस्थितियों में दुबारा प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा-

- (अ) प्रमाण पत्र गुम हो जाने, कट-फट जाने या खराब हो जाने पर दोहरी प्रति (Duplicate copy) जारी की जावे।
- (ब) नाम बदलने पर संशोधित प्रमाण पत्र (Revised Certificate) जारी किया जावे।
- (ग) कालान्तर में आयु वृद्धि के अनुसार पहचान के लिए मांग पर नये फोटो के साथ नवीनीकृत प्रमाण पत्र (Renewed Certificate) जारी किया जावेगा।

प्रमाण पत्र विभाग मूल प्रमाण पत्र की सत्यप्रति को आवेदन पत्र के साथ ग्रहण योग्य मानेगे।

प्रमाण पत्र मूल प्रमाण पत्र संलग्न नही करवाया जावेगा।

5. अग्रर्थी के वयन/भर्ती के अन्तिम स्तर पर ही सत्यप्रति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावे तथा इसका सत्यापन मूल प्रमाण पत्र से ही किया जा सकता है। इससे पूर्व अग्रर्थी की स्व भाषणा एवं नोटेरी पब्लिक/राजपत्रित अधिकारी द्वारा तरदीकशुदा शपथ पत्र प्रारम्भिक नगण कार्यवाही के लिए लोकार किये जावे।
6. आवेदन के साथ दो राजपत्रित अधिकारियों की तरदीक या प्रमाण पत्र नहीं मांगे जावेंगे। दो राजपत्रित अधिकारियों की तरदीक अथवा प्रमाण पत्र की बजाय किन्ही दो उत्तरदायी व्यक्तियों (संसद सदस्य/विधानसभा सदस्य/जिला प्रमुख/प्रधान/जिला परिषद सदस्य/सरपंच/वार्ड पंच/महापौर/नगर निगम सदस्य/नगरपालिका अध्यक्ष/नगर पालिका सदस्य/राजकीय अधिकारी/कर्मचारी) की तरदीक सक्ष्य हेतु ग्राह्य मानी जायेगी।
7. एक व्यक्ति के सभी पुत्र पुत्रियों के प्रमाण पत्र एक ही आवेदन पत्र पर जारी किये जा सकेंगे यद्यपि प्रमाण पत्र सभी के पृथक पृथक जारी किये जायेंगे।
8. किसी भी विभाग द्वारा स्वयं के द्वारा अलग से तैयार किये गये प्रारूप/बुकलेट आदि में प्रमाण पत्र नहीं मांगा जावेगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र

1. अधिकृत अधिकारी - संभागीय आयुक्त/अतिरिक्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (संसद/शहर)/उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट/सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट/राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार/नायब तहसीलदार से कम पद का नहीं हो जहां उम्मीदवार तथा उसका परिवार रहता है।
2. क्रिमीलेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रिमीलेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त अगले प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रिमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उससे सत्यापित शपथ पत्र लेकर (परिशिष्ट-जी) पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही प्रमाण लिया जाये। ऐसा अधिकतम तीन वर्ष तक किया जा सकता है।

- 3 ओबीसी संबंधी प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जावेगा। परन्तु क्रिमीलेयर में नहीं होने संबंधी सत्य को तीन वर्ष के लिए प्रार्थी के विधि सम्पन्न शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जाएगी। निम्न परिस्थितियों में दुबारा प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
 - (अ) प्रमाण पत्र गम हो जाने, बर्त फट जाने या खराब हो जाने पर दोहरी प्रति (Duplicate copy) जारी की जावे।
 - (ब) नाम बदलने पर संशोधित प्रमाण पत्र (Revised Certificate) जारी किया जावे।
 - (स) कालान्तर में आयु वृद्धि के अनुसार पहचान के लिए सांग पर नये फोटो के साथ नवीनीकृत प्रमाण पत्र (Renewed Certificate) जारी किया जावेगा।
- 4 कोई भी व्यक्ति अपने पुत्र पुत्रियों के लिए पृथक पृथक आवेदन करने के बजाय एक ही आवेदन पत्र से सभी का प्रमाण पत्र बनवा सकेगा परन्तु सभी के लिए प्रमाण पत्र अलग-अलग जारी किये जायेंगे।
- 5 दो सजपत्रित अधिकारियों की तस्दीक अथवा प्रमाण पत्र की बजाय किन्ही दो उत्तरदायी व्यक्तियों (संसद सदस्य/विधानसभा सदस्य/जिला प्रमुख/प्रधान/ जिला परिषद सदस्य/सरपंच/वार्ड पंच/महापौर/नगर निगम सदस्य/ नगरपालिका अध्यक्ष/नगर पालिका सदस्य/राजकीय अधिकारी/कर्मचारी) की तस्दीक साक्ष्य हेतु ग्राह्य मानी जायगी तथा उनके द्वारा देय साक्ष्य परिशिष्ट-सी अनुसार होगा।
- 6 सभी विभाग मूल प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति को आवेदन पत्र के साथ ग्रहण योग्य मानेंगे। इस हेतु मूल प्रमाण पत्र संलग्न नहीं कर्वाया जायेगा। अन्तिम सत्यापन मूल प्रमाण पत्र से किया जा सकता है।
- 7 पूरे राज्य में आवेदन पत्र संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज तथा जारी किया जाने वाला प्रमाण पत्र का एक समान प्रारूप निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया।
 - (अ) पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र (Non Creamy layer) कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 22.9.2009 में निर्दिष्ट प्रारूप परिशिष्ट-डी के अनुसार जारी किया जायेगा।

11

(42)

५६

- (ब) विशेष पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र (Non Creamy layer) कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 22.9.2009 में निर्दिष्ट प्रारूप परिशिष्ट-ई के अनुसार जारी किया जायेगा।
- (स) केवल अन्य पिछड़ा वर्ग व केवल विशेष अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप उपरोक्त परिशिष्ट-डी व ई के अनुसार क्रिमीलेयर में नहीं होने संबंधी पैरा 3 को काटकर (Delete) कर जारी किया जावेगा।

8 आवेदन पत्र का प्रारूप राज्य सरकार (कार्मिक (क-5) 90 दिनांक 21.3.1994 द्वारा निर्धारित है) जो परिशिष्ट-एफ अनुसार है।

उपरोक्त नवीन संशोधित प्रारूपों के अनुसार जाति प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व भली भांति नियमों का अध्ययन कर लेवे तथा नियमों की परिधि में ही राजस्व रिकार्ड अन्य अभिलेख एवं आवश्यक विश्वसनीय जांच करने के पश्चात् ही जाति प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश प्रदान करें। प्राधिकृत अधिकारी आवेदक की जाति से पूर्ण रूप से सन्तुष्ट होने पर ही जाति प्रमाण पत्र जारी करें।

संलग्न-संशोधित नवीन प्रारूप
[परिशिष्ट ए.बी.सी.डी.ई.एफ.जी]

आयुक्त एवं ^{जति} शासक सचिव

43

५१

प्रमाणक एफ.११(X)आरएचडी/सांख्यिकी/१२/१५१०-१७१०

जयपुर दिनांक २५-१-२०१३

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

१. प्रमुख सचिव, प्रांतीय मुख्यमंत्री गलियारा, राजस्थान सरकार।
२. विशिष्ट सचिव/निजी सचिव, समस्त प्रांतीय मंत्रालय/सचयमन्त्रीयम राज० जयपुर।
३. उप सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर।
४. निजी सचिव, समस्त अनिरीकृत मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
५. समस्त प्रमुख शासन सचिव/सचिव, राजस्थान सरकार
६. समस्त विभागाध्यक्ष
७. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
८. आयुक्त, जन सम्पर्क एवं सूचना विभाग, जयपुर।
९. तम निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिषदा एवं समस्त कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारित विभाग.....
१०. गार्ड फाईल।

आयुक्त एवं शासन सचिव

जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र
(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति)

गोट पीसा स्टाम्प

२२ - ७२५५

1. आवेदक सत्यवची आधारगत- सुगम (वैकल्पिक विन्दु को ✓ से चयन करें)

1. प्रार्थी का नाम*

2. पिता का नाम*

प्रार्थी का फोटो

(पासपोर्ट साइज)

(अभिप्रेत करने वाले सत्यापनी व्यक्ति से फोटो सत्यापित कराए)

3. निवासी स्थान का पूर्ण पता*

(क) वर्तमान पता :-

(ख) स्थाई पता :-

4. गाँव/शहर*

तहसील*

जिला*

5. जन्म दिनांक:

जन्म स्थान

उम्र

6. लिंग*

पुरुष

महिला

वैवाहिक स्थिति:

विवाहित

अविवाहित

7. धर्म (आवेदक)*:

जाति*:

उप जाति*

8. धर्म (पिता का)*

जाति*:

उप जाति*

9. प्रार्थी ने शिक्षा, व्यवसाय आदि में किस जाति धर्म का उल्लेख कर रखा है*

10. क्या आप/आपका परिवार राजस्थान के मूल निवासी है*

हाँ

नहीं

11. मोबाईल नम्बर

(सूचना चाहता है)

(जिस पर प्रार्थी आवेदन से संबंधित एस.एम.एस. द्वारा

में ससदीक करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही है।

जन्म दिनांक:

स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर

हल्का पटवार जॉच रिपोर्ट

१११

मुसद्दिक जॉच गवाहों एव शपथ पत्र के आधार पर आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी []
श्री [] निवासी []
[] की है जो अनुसूचित जाति/जनजाति की उपजाति [] का/की है।
[] का लाल कार्ड नम्बर [] दिनांक []

हस्ताक्षर पटवारी
हलका नं. []

प्रमाण-पत्र

(i) गवाह* :

मे [] पुत्र/पुत्री श्री []
निवासी []
विभाग का नाम [] पद [] पर
कार्यरत हूँ एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि,
प्रार्थी/प्रार्थीया [] पुत्र/पुत्री श्री []
निवासी []
को भली प्रकार से जानता हूँ वे अनुसूचित जाति/जनजाति की उपजाति []
का/की है, तथा उनके द्वारा संलग्न बयान मेरे सम्मक्ष दिया गया है जो पूर्ण सत्य है।

(हस्ताक्षर गवाह/उत्तरदायी व्यक्ति)

(ii) गवाह* :

मे [] पुत्र/पुत्री श्री []
निवासी []
विभाग का नाम [] पद [] पर
पर कार्यरत हूँ एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि,
प्रार्थी/प्रार्थीया [] पुत्र/पुत्री श्री []
निवासी []
को भली प्रकार से जानता हूँ वे अनुसूचित जाति/जनजाति की उपजाति []
का/की है, तथा उनके द्वारा संलग्न बयान मेरे सम्मक्ष दिया गया है जो पूर्ण सत्य है।

(हस्ताक्षर गवाह/उत्तरदायी व्यक्ति)

(46)

50

आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्र की प्रतियाँ सलग्न करें :-
 1. नवीनतम फोटो जिसे आवेदन पत्र पर दिये गये स्थान पर लिपकाएं (स्टैपल नहीं करना है) तथा उसी
 स्थान पर उपाख्यान कक्षा में दिये गये शपथ पत्र को अंकित करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति से सत्यापित कराये।
 2. जन्म/मृतदाता सूची/अथवा सम्पत्ति के मालिकाना हक सम्बन्धी/किराया-नामा/गैस कनेक्शन/विजली पानी
 की जाति के साक्ष्य हेतु प्रमाण पत्र (जाति प्रमाण पत्र), भूमि की जमाबंदी, मूल निवास प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण
 पत्र/उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र यथा- सरकारी/विद्यालय/समाज/राजकीय अधिकारी-कर्मचारी/जिला
 प्रमाण, विद्यालय परिवार सदस्य/सर्वपथ/गम रोगक/पटवारा /महापाल (राधिव)/नगर निगम सदस्य/नगर
 अध्यक्ष/रजिस्ट्रार के हेड मास्टर/संबन्धित पी.एच.सी./सी.एच.सी. के डॉक्टर/पी.डी.ओ./सहायक अभियन्ता

शपथ-पत्र

पुत्र/पुत्री श्री

पिता/माता

सोच/शहर तहसील जिला

राजस्थान का/की हूँ। मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि :

- (1) मैं राजस्थान के अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की अधिकृत सूची में सम्मिलित जाति का/की सदस्य हूँ।
- (2) मैं उपरोक्त प्रकरणों की साक्ष्य हेतु आवश्यक प्रमाण/साक्ष्य उपलब्ध कराने को तैयार हूँ।
- (3) मैं और मेरा परिवार अन्य राज्य से राजस्थान राज्य में माईग्रेट (विस्थापित) होकर नहीं आये हैं।
- (4) यह कि मैंने किसी भी जिले/प्रदेश से जाति का प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं सत्यापित करता हूँ/करती हूँ कि सूचना सं. 1 से 4 की उपर्युक्त विशिष्टियाँ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विचार के अनुसार सही व सत्य हैं, ईश्वर मेरा साक्षी है।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

(अभिशांका करने वाले उत्तरदायी-व्यक्ति के हस्ताक्षर)

11

147

21 परिशिष्ट की

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिग जातियों के उम्मीदवारों द्वारा अपने दावे के शुल्कन में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रारूप

जाति का प्रमाण पत्र फार्म

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____

पुत्र/पुत्री _____ जन्मदिनांक _____

जिला/डिवीजन _____ राज्य क्षेत्र _____

जाति/समुदाय का जो विशेष निम्नलिखित के अनुसार (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति जनजाति) के रूप में मान्यता प्राप्त है -

- संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950
- संविधान (अनुसूचित जन जाति) आदेश, 1950
- संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951
- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूचियाँ (संशोधन) आदेश 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित)
- संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश 1962, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जन जाति आदेश 1962, संविधान (पुद्दुचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964, संविधान (अनुसूचित जन जाति (उत्तर प्रदेश) आदेश 1967, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश 1968, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जन जाति आदेश 1968, संविधान (त्रिगालैण्ड) अनुसूचित जन जाति आदेश 1970

श्री/श्रीमती/कुमारी _____ और अथवा उसी परिवार _____
गांव/नगर _____ जिला/डिवीजन _____
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र _____ में

सामान्यतया रहता है।

हस्ताक्षर _____
पद नाम _____
(कार्यालय की मुहर सहित)

स्थान _____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र _____
तारीख _____

कृपया उन शब्दों को हटा दीजिये जो लागू नहीं हैं।

विशेष ध्यान दें।

यहां प्रयुक्त हुए सामान्यतया रहता है। शब्दों का अर्थ वही होगा जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

11

(43)

52

गरिशिष्ठ- सी

पिछड़ा वर्ग राक्ष्य द्वारा उत्तरदायी व्यक्ति

(i) गवाह* :

पुत्र/पुत्री श्री []

निवासी []

विभाग का नाम [] कार्यालय का नाम []

[] पर कार्यरत हूँ एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि,

[]/प्राथीया [] पुत्र/पुत्री श्री []

निवासी []

को भली प्रकार से जानता हूँ, ये अन्य/विशेष पिछड़े वर्ग की जाति []

का/की है, तथा उनके द्वारा संलग्न बयान मेरे समक्ष दिया गया है जो पूर्ण सत्य है।

(उत्तरदाय गवाह/उत्तरदायी व्यक्ति)

(ii) गवाह* :

पुत्र/पुत्री श्री []

निवासी []

विभाग का नाम [] कार्यालय का नाम []

[] पर कार्यरत हूँ एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि,

[]/प्राथीया [] पुत्र/पुत्री श्री []

निवासी []

को भली प्रकार से जानता हूँ, ये अन्य/विशेष पिछड़े वर्ग की जाति []

का/की है, तथा उनके द्वारा संलग्न बयान मेरे समक्ष दिया गया है जो पूर्ण सत्य है।

(दस्तावेज गवाह/उत्तरदायी व्यक्ति)

11

हल्का पट्टवार जाँच रिपोर्ट

श्रीमान्/मुत्तमिका जॉज गगान एच शपथ पत्र के आधान पर प्रोटोक श्री/श्रीमती/व पारी []
 पुत्र/पुत्री श्री [] जाति [] पत्नी/पति []
 पत्नी/पति के प्राणी क्रियमाण के की श्रेणी में आता है/नहीं आता है।

हस्ताक्षर पट्टवारी

हल्का नं

नोट - आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्र की प्रतियाँ सलग्न करे :-

आवेदक की नवीनतम फोटो जिसे आवेदन पत्र पर दिये गये स्थान पर चिपकाए (स्टेपल नहीं करना है) तथा उसे अभिशंभा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति से सत्यापित करावें।

आवेदन पत्र में दिये गये शपथ पत्र को अभिशंभा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति से सत्यापित करावें।


राशन कार्ड/मतदाता सूची/अचल सम्पत्ति के मालिकाना हक सम्बन्धी/किरायानामा/गैस कनेक्शन/बिजली, पानी, टेलीफोन बिल की प्रमाणित प्रति।

पिता की जाति के सत्य हेतु प्रमाण पत्र (जाति प्रमाण पत्र), भूमि की जमाबंदी, आग प्रमाण पत्र/आग कर रिटर्न सम्बन्धी दस्तावेज/मूल निवास प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र/शिक्षा प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति।

दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र यथा- संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य/जिला प्रमुख/प्रधान/जिला परिषद सदस्य/सरपंच/ग्राम सेवक/पटवारी/महापौर (सचिव)/नगर निगम सदस्य/नगर पालिका अध्यक्ष/स्कूल के हेड मास्टर/संबंधित पी.एच.सी./सी.एच.सी. के डॉक्टर/बी.डी.ओ./सहायक अभियन्ता/

शपथ पत्र/न्याय

54



पुत्र/पुत्री श्री []

[] जिला []

- राजस्थान का/की [] में समाप्त कांक बयान करता/करती हूँ।
- राजस्थान के पिछले वर्ग की अधिकृत सूची दिनांक 17.8.1993 में सम्मिलित वर्ग अन्य/विशेष पिछड़ा वर्ग की जाति [] का/की सदस्य हूँ।
- मेरे माता/पिता राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28.9.1993 के साथ उपरोक्त अनुसूचित के स्तर 3 में उल्लेखित संवैधानिक पद केन्द्रिय [] समूह 'क' वर्ग-1, समूह 'ख' वर्ग-2 के अधिकारी तथा भारतीय स्थल/जल/वायु सेवा के कर्मचारी के समान पदों पर नहीं हैं/नहीं थे।
- मेरे माता/पिता [] पद पर कार्यरत है/थे।
- मेरे माता/पिता [] स्रोतों से मासिक आय [] रुपये हैं।
- मैं उपरोक्त प्रकरणों की साक्ष्य हेतु आवश्यक प्रमाण/साक्ष्य उपलब्ध कराने को तैयार हूँ।
- मैं और मेरा परिवार अन्य राज्य से राजस्थान राज्य में माईग्रेट (विस्थापित) होकर नहीं आये हैं।
- यह कि मैंने किसी भी जिले/प्रदेश से जाति का प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है।

हस्ताक्षर शपथप्रतिता

सत्यापन


मैं सत्यापित करता हूँ/करती हूँ कि उपर्युक्त विशिष्टियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं, और मैं अन्य पिछड़े वर्गों की किमीलेयर का हूँ/गहीं हूँ और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पदों के लिए विचार किये जाने का पात्र हूँ, चयन के पूर्व या पश्चात् किसी भी सूचना की मिथ्या या गलत पाये जाने की दशा में या अपराध का पता चलने पर, मैं समझता हूँ कि अन्वेषण/नियुक्ति रुद कर दी जावेगी और मैं ऐसी कार्यवाही के लिये और उत्तरदायी होंगा जो विधि और नियमों के उपलब्धित की जावे।

हस्ताक्षर शपथप्रतिता

(अभिशांन करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर)

55

परिशिष्ट - डी



संदिग्धता

दिनांक

राज्य के पिछड़े वर्ग का होने तथा
क्रिमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) के नहीं होने
के प्रमाण पत्र का प्रमत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि :

1. श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पुत्री _____
राजस्थान राज्य के जिला _____ में ग्राम/नगर
_____ की निवासी है तथा ये/और या इनका कुटुम्ब यहां
स्थाई रूप से निवास करता/करती/करते हैं।
2. उक्त श्री/श्रीमती/कुमारी _____ राज्य सरकार के सामाजिक
न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं. प.11 (164)आर एण्ड पी/एसजेईडी/
09/47032 दिनांक 25.8.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के पिछड़े वर्गों की
अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से _____
वर्ग/जाति के/की सदस्य हैं।
3. उक्त श्री/श्रीमती/कुमारी _____ आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के
क्रिमीलेयर संबंधी राज्य सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना संख्या
प/7(8)कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 25.8.2009 में उल्लेखित श्रेणियों के मापदण्ड के
अनुसार क्रिमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) का/की नहीं है।

सक्षम अधिकारी का नाम व हस्ताक्षर
कार्यालय की मोहर/सील सहित

*(राज्य के पिछड़े के लिये राजस्थान सरकार के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों
तथा राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों में आरक्षण के प्रयोजनार्थ)

५

56

परिशिष्ट- 3

पेज

राजस्थान

जिला

राज्य के विशेष पिछड़े वर्ग का होने तथा क्रिमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) के नहीं होने के प्रमाण पत्र का प्रपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि

1. श्री/श्रीमती/कुमारी _____ राजस्थान राज्य के जिला _____ पुत्र/पुत्री _____ की निवासी है तथा ये/और या इनका कुटुम्ब यहाँ स्थाई रूप से निवास करता/करती/करते हैं।
2. उक्त श्री/श्रीमती/कुमारी _____ राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं. प.11 (164)आर एण्ड पी/एसजेईडी/09/46855 दिनांक 25.8.2008 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के विशेष पिछड़े वर्गों की अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से _____ वर्ग/जाति के/की सदस्य हैं।
3. उक्त श्री/श्रीमती/कुमारी _____ आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के क्रिमीलेयर संबंधी राज्य सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना संख्या प/7(8)कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 25.8.2008 में उल्लेखित श्रेणियों के मापदण्ड के अनुसार क्रिमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) का/की नहीं है।

सक्षम अधिकारी का नाम व हस्ताक्षर
कार्यालय की मोहर/सील सहित

* (राज्य के विशेष पिछड़े के लिये राजस्थान सरकार के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों तथा राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों में आरक्षण के प्रयोजनार्थ)

153

51

परिशिष्ट - एक

राजस्थान सरकार के अधीन के पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिये नौकरियों के आरक्षण के लिये मात्रता हेतु प्रमाण-पत्र के लिये आवेदन का प्रारूप।

(न्याय) यह प्रारूप केवल मॉडल के रूप में प्रयुक्त किया जायेगा। यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त गये स्थानीय सिध्दति की अनुसंधान अनुसार प्रारूप में सम्मिलित की जा सकेगी।

पेशिया

महोदय

मैं निवेदन करता हूँ कि मुझे राजस्थान सरकार के अधीन के रिक्त पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण के संबंध में प्रमाण-पत्र मंजूर किया जाए।

मैं आवश्यक विशिष्टयों नीचे दे रहा हूँ:-

- 1- आवेदक का पूरा नाम :
(बड़े अक्षरों में)
- 2- जन्म तिथि .
- 3- निवास का पूर्ण पता :
(1) वर्तमान
(2) स्थाई
- 4- धर्म
- 5- जाति
- 6- उपजाति :
- 7- उपजीविका - वर्ग
- 8- अ.पि.व. की राज्य सूची में
जाति क्रम संख्यांक :
- 9- पिता का नाम
- 10- माता का नाम :
- 11- पति का नाम
- 12- माता-पिता/पति की प्रस्थिति

पिता

माता

पति

[क] संवैधानिक पद

[ख] पद नाम

[ग] सरकारी सेवार्थ

पिता

माता

पति

- (i) सेवा (केन्द्रीय/राज्य)
- (ii) पद नाम
- (iii) वेतनमान, वर्गीकरण सहित, यदि कोई हो।

Araksh/Cast Certificates

Handwritten signature

- (iv) पद पर नियुक्ति की तारीख
- (v) वर्ग/पद पर पदोन्नति के समय आयु (यदि लागू न हो)
- (ii) अन्तरराष्ट्रीय संगठन उदाहरणार्थ संयुक्त राष्ट्र मूलीसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन में नियोजन
 - (i) संगठन का नाम
 - (ii) पद नाम
 - (iii) सेवा की अवलायधि दिनांक से तक
- (iii) मृत्यु/स्थायी अक्षमता (यदि लागू हो तो)
 - (i) मृत्यु/अधिकारी की स्थायी अक्षमता की तारीख जब से वह सेवा के अयोग्य हो गया हो।
 - (ii) स्थायी अक्षमता का ब्यौता
- (ग) पब्लिक सेक्टर उदाहरण अर्थात् में नियोजन
 - (i) संगठन का नाम
 - (ii) पद का नाम
 - (iii) पद पर नियुक्ति की तारीख
- (घ) पैरा मिलिटरी बलों को सम्मिलित करते हुए सशस्त्र बल

इसमें सिविल पदों को धारण करने वाले व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे)

- (i) पद नाम
- (ii) वेतनमान
- (ड) व्यवसाय वर्ग (उनको छोड़कर जो मद संख्या (ख) और (ग) के अन्तर्गत आते हैं और व्यापार, कारोबार और उद्योग में लगे हुए व्यक्ति।
 - (i) उप-जीयिका/वृत्ति
 - (घ) सम्पत्ति के स्वामी

- (ख) कृषि जैसे (माता, पिता और अव्यस्क बच्चों के स्वामीत्व में)
 - (1) अवस्थिति
 - (2) जोत का आकार
 - (3) क - सिंचित सिंचित भूमि का प्रकार
 - 1.
 - 2.
 - 3.

17

हैं अस्थिति।

- 4. राज्य भूमि अधिग्रहण सीमा क्षेत्र विधायक के उच्चतम कानूनी अधिकारम सीमा क्षेत्र में स्थित जेत का प्रतिफल।
- 5. यदि जेत स्थित/अस्थित दोनों प्रकार की है तो राज्य भूमि अधिग्रहण सीमा क्षेत्र विधि में संपत्ति का मूल्यांकन के आधार पर, कुल स्थित जेत।

6. 4 व 5 के अनुसार कानून अधिग्रहण सीमा क्षेत्र में कुल स्थित जेत का मूल्यांकन

- (ग) वागमन
 - 1 फसल/मूल्य
 - 2 अस्थिति
 - 3 वागमन का क्षेत्र

(घ) नगरीय क्षेत्रों या नगर बस्ती में स्थित भूमि और/या भवन

- 1 सम्पत्ति की अवस्थिति।
- 2 सम्पत्ति का ब्यौरा
- 3 उपयोग जिसके लिए वह रखी गयी है।

(ङ) आय/धन।

- (घ) 1 समस्त स्रोतों से कुटुम्ब की वार्षिक आय (सिन्नों और कृषि भूमि से आय को अपवर्जित करते हुए)
- 2 क्या करदाता है (हां/नहीं) () यदि हां तो गत तीन वर्षों की विवरणी की प्रति दी जावे।
- 3 क्या धन कर अधिनियम के अन्तर्गत आता है (हां/नहीं) (यदि ऐसा है तो ब्यौरा दीजिए)

(च) अन्य कोई अभ्यक्तियां।

मैं प्रमाणित करता हू कि उपर्युक्त विशिष्टियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और कि मैं अन्य पिछड़े वर्गों की किमीलेयर का नहीं हू और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित पदों के लिए विचार किये जाने का पात्र हू। ध्यान के पूर्व या पश्चात किसी भी सूचना के मिथ्या या भ्रमल पाये जाने की दशा में या अपात्रता का पता चलने पर, मैं समझता हू कि अभ्युक्ति नियुक्ति रद्दीकरणीय होगी और मैं ऐसी कार्यवाही के लिये भी उत्तरदायी होऊंगा जो विधि और या नियमों के उपावधित की जायें।

भवदीय,

स्थान,

दिनांक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

(56)

60

राजस्थान सरकार के अधीन के पदों पर नियुक्ति के लिये आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले जाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप :

जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कुमारी
सुपुत्र/पुत्री/पत्नी/ ग्राम/नगर.....
जिला/खण्ड राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना
प.11(125)आर.ए.ए.पी /सकवि/48831 दिनांक 27.8.83 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के लिये
पिछड़े वर्गों की अधिकतम व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से
..... वर्ग/जाति के सदस्य हैं। श्री
और/या उसका कुटुम्ब राज्य के
..... जिला खण्ड में स्थायी तौर से निवास
करता है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि राज्य की अधिसूचना संख्या प.0 (8)कार्मिक/क-5/80 दिनांक
28.9.83 के साथ उपाबद्ध अनुसूची के यस्तम्भ 3 में उल्लेखित अपवर्जन का नियम इन पर लागू
नहीं होता है। अर्थात् उक्त अनुसूची में वर्णित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमीलेयर) का नहीं है

हस्ताक्षर
जाति प्रमाण-पत्र जारी करने
वाले अधिकारी

दिनांक
नोहर

11

